कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 599 / FP/UK/ROAD/42092/2019 देहरादूनः दिनांकः 27 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–अल्मोडा के अन्तर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.125 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/42092/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.125 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि कृपया तद्नुसार प्रस्ताव पर राज्य सरकार की Stage 1 हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा), 27/8/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/42092/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–अल्मोडा के अन्तर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.125 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/42092/2019)

जनपद–अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–अल्मोडा के अन्तर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.125 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।उक्त प्रस्ताव में 0.125 हे0 राजस्व भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–अल्मोड़ा/प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (डी0 जे0 के0 शर्मा) अ0प्र0व0सं0 एवं नो0 अधिकारी (एफ0सी0) उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : 27/08/2020
स्थान : देहरादून